राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,
जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

अनुक्रमणिका

1.	अध्यक्षीय प्राक्कथन	5
2.	राज्य आयोग का गठन तथा कार्य	8
3.	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना	9
4.	आयोग में पूर्व/कार्यरत अध्यक्ष, सदस्यों की कार्य अवधि विवरण	10
5.	स्वीकृत व रिक्त पदो का विवरण	11
6.	वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत अनुदान व व्यय	12
7.	राज्य आयोग की शक्तियाँ	13
8.	आयोग में शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई प्रक्रिया	14
9.	परिवादों का जिलेवार तथा विषयवार वर्गीकरण विवरण	16
10.	महत्वपूर्ण परिवादों में आयोग के निर्णय	17
11.	डी.के. वसु प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश	56
परिशिष्ठ		
1.	माननीय जस्टिस श्री महेश चन्द शर्मा	58
2.	आयोग में कार्यरत अध्यक्ष, सदस्यगण तथा अधिकारियों का विवरण	59

अध्यक्षीय प्राक्कथन

'मानव अधिकार' हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। वर्तमान समय में समाज में बढ़ते हुये अत्याचारों एवं अपराधों के परिपेक्ष्य में मानव अधिकारों की स्थापना, अनुपालना और निगरानी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं।

इसी पृष्ठभूमि में मानव अधिकार संसरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में हुआ था। आयोग में मार्च, 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई। अपनी स्थापना काल से ही आयोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी एवं सहायक के रूप में कार्य कर हा हैं।

आपके सम्मुख प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन में वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग में संचालित गतिविधियों, महत्वपूर्ण निर्णयों एवं क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी दी गई हैं।

विगत समय में मानवाधिकारों से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे आयोग समक्ष आये हैं, उनमें अनेक नीतिगत और संवेदनशील मामलों में आयोग ने सतर्क हस्तक्षेप कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का सतत् प्रयास किया हैं। आयोग के प्रयासों को कुछ हद तक सफलता भी मिली है। तथापि, मैं महसुस करता हूँ कि हमारे प्रशासनिक तंत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का अभाव हैं। मेरा लक्ष्य संबंधित प्राधिकारियों में व्यापक मानवीय सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं सजगता की भावना को जागृत कर उन्हें व्यवस्थित सुधारों की ओर ले जाने में समर्थ बनाने का हैं। राज्य सरकार के स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में हर संभव प्रयास किये जा रहे है। राज्य की कल्याणकारी एवं विकास उन्मुक्त नीतियों ने मानवाधिकार से संबंधित परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सभी सरकारी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु अधिकार आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयोग के द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों पुलिस, सुरक्षाबलों में मानवाधिकारों की जागरूकता, संवेदनशीलता विकसित करने एवं एक सार्थक संवाद की पहल करने के लिए समय–समय पर विभिन्न जिलों में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठके, कैम्पकोर्ट का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में आयोग में दर्ज

परिवादों/शिकायतों का बढना इस बात का प्रतीक है कि आमजन में मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता बढी है और आयोग के प्रति विश्वास भी बढा है।

आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण निष्ठा से प्रयासरत है। आयोग का प्रयास जनमानस में मानवाधिकारों के प्रति चेतना को अधिकाधिक जागृत करना है। गरिममय जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी अधिकारों पर ध्यान देने के साथ-साथ वर्तमान में आयोग पुलिस सुधार, जेलों तथा अन्य संस्थाओं जैसे कि किशोर गृहों, मानसिक चिकित्सालयों तथा महिला आश्रय गृहों पर विशेष ध्यान दे रहा हैं। आयोग अनुसूचित जाति, जनजातियों को समानता तथा न्याय व उनके विरूद्ध हुए अत्याचारों की रोकथाम के लिये भी सतत् प्रयत्नशील है। आयोग समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवधन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

आयोग द्वारा समाचार पत्रों एवं समाचार चैनल्स में मानव अधिकारों से संबंधित प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले समाचारों पर स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर परिवाद संख्या 2020/17/1947 कोरोना महामारी के दौरान दीपवली पर फटाखों के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण से कोविड-19 संक्रमण को खतरा बढ़ने के संबंध में सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा चिंता जाहिर करने के प्रकाशित समाचारों के संबंध में पंजीकृत किया गया, परिवाद संख्या 2020/24/2717 कोटा के जे.के. लोन चिकित्सालय में 12 नवजातों की मौत हो जाने के प्रकाशित समाचारों के संबंध में पंजीकृत किया गया एवं परिवाद संख्या 2020/12/2832 दौसा के सरकारी डॉक्टरों के घर से चल रहा दवा का बडा कारोबार, निःशुल्क दवा योजना को भी दिखा रहे ठेंगा के प्रकाशित समाचारों के संबंध में पंजीकृत किया जाकर तीनों प्रकरणों की गम्भीरता को देखते हुए औचक निरीक्षण एवं विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट संबंधित अधिकारीगणों से तलब की गई। परिवाद संख्या 2020/12/2832 में कार्यवाही पूर्ण राज्य सरकार को अनुशंषा प्रस्तुत की जा चुकी हैं साथ ही राज्य में नकली दुध, मावा, पनीर की बिक्री के संबंध में प्राप्त परिवाद में परिवाद संख्या 2018/17/4897 पंजीकृत कर संबंधित अधिकारीगणों से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई है।

राज्य आयोग के स्थापित होने से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 46992 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। अपने सीमित स्टॉफ, सीमित संसाधनों एवं सीमित सुविधाओं एवं कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद राज्य आयोग द्वारा 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक कुल 4585 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रबल इच्छाशक्ति एवं असीमित उत्साह के बल पर राज्य आयोग मानवाधिकारों की चेतना के व्यापक विस्तार के लक्ष्य को पाने के साथ-साथ मानवाधिकारों की सोच के नये मार्ग को भी प्रशस्त करने हेतु प्रयासरत है।

मनुष्य अपने अन्तःकरण में हमेशा सहज प्रेम, करूणाा और न्याय का अनुगामी होता है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के विवेक और संवेदनशीलता को जागृत कर, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करके एक सुन्दर समाज की रचना करे। पूरे मानव समाज के अधिकार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति 'निजी कर्तव्यों' का पालन करे। एक सजग और सर्तक नागरिक के नाते हम सभी मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में पूर्ण उत्साह के साथ अपना भरपूर योगदान दे। इस लक्ष्य के अनुरूप आयोग अगामी कार्यक्रमों में आमजन, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं से अभीष्ट व स्वेच्छिक समर्थन की आशा और अपेक्षा करता हैं।

(न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द शर्मा)

कार्यवाहक अध्यक्ष

आयोग का गठन एवं कार्य

गृह विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)/गृह/एच.आर./1996 दिनांक 18.01.1999 के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।

आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्ः–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी और से किसी व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर,–

(i) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या

(ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की, शिकायत के बारे में जांच करना;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

(ग) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति, उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरूद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोयायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ड) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य है, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विध्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गो के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों के उत्साहित करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना

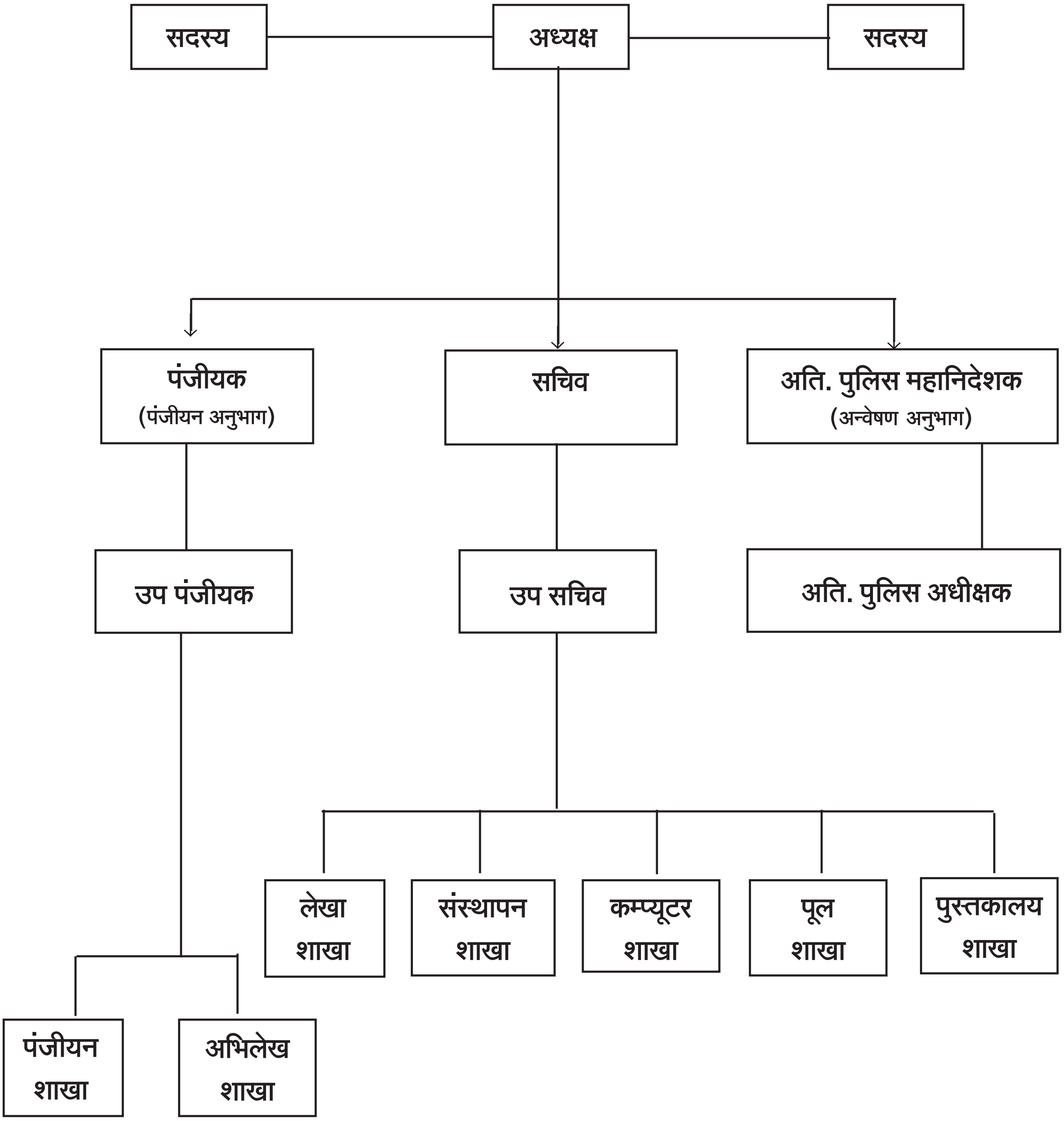

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

अध्यक्ष

क्र.सं.	अध्यक्ष के नाम	कार्यावधि	
1.	न्यायाधिपति श्रीमती कान्ता भट्नागर	23.03.2000	11.08.2000
2.	न्यायाधिपति श्री एस. सगीर अहम्मद	16.02.2001	03.06.2004
3.	न्यायाधिपति श्री अमर सिंह गोदारा **(कार्यवाहक अध्यक्ष)**	04.06.2004	06.07.2005
4.	न्यायाधिपति श्री एन.के. जैन	16.07.2005	15.07.2010
5.	न्यायाधिपति श्री जगत सिंह **(कार्यवाहक अध्यक्ष)**	19.07.2010	09.10.2010
6.	श्री पुखराज सिरवी **(कार्यवाहक अध्यक्ष)**	26.10.2010	13.04.2011
7.	श्री एच.आर.कुडी **(कार्यवाहक अध्यक्ष)**	14.06.2012	10.03.2016
8.	न्यायाधिपति श्री प्रकाश टाटिया	11.03.2016	25.11.2019
9.	न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा **(कार्यवाहक अध्यक्ष)**	05.12.2019	से लगातार

माननीय सदस्य

क्र.सं	माननीय सदस्य के नाम	कार्यावधि	
1.	माननीय जस्टिस अमर सिंह गोदारा	07.07.2000	06.07.2005
2.	माननीय श्री आर.के. आकोदिया	25.03.2000	24.03.2005
3.	माननीय श्री बील.एल. जोशी	25.03.2000	31.03.2004
4.	माननीय प्रोफेसर आलमशाह खान	24.03.2000	17.05.2003
5.	माननीय श्री नमो नारायण मीणा	11.09.2003	23.03.2004
6.	माननीय जस्टिस जगत सिंह	10.10.2005	09.10.2010
7.	माननीय श्री धर्म सिंह मीणा	07.07.2005	06.07.2010
8.	माननीय श्री पुखराज सिरवी	15.04.2006	13.04.2011
9.	माननीय श्री एच.आर. कुडी	01.09.2011	31.08.2016
10.	माननीय श्री एम.के.देवराजन	01.09.2011	31.08.2016
11.	न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा	03.10.2018	से लगातार

अध्यक्ष का पद दिनांक 26.11.2019 तथा सदस्य का एक पद दिनांक 01.09.2016 से रिक्त है।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 को स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	–	1
2	सदस्य	2	1	1
3	सचिव	1	1	–
4	अति. महानिदेशक पुलिस	1	1	–
5	रजिस्ट्रार	1	1	–
6	प्रमुख निजी सचिव	1	–	1
7	उप सचिव	1	1	–
8	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	1	1	–
9	उप पंजीयक	1	–	1
10	निजी सचिव	4	–	4
11	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	1	–	1
12	सहा. लेखाधिकारी–द्वितीय (लेखाकार)	1	1	–
13	निजी सहायक	6	1	5
14	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–
15	सहायक कार्यालय अधीक्षक	2	2	–
16	प्रोग्रामर	1	1	–
17	सूचना सहायक	1	1	–
18	उप पुलिस निरीक्षक	2	1	1
19	हैड कांस्टेबल	1	1	–
20	कांस्टेबल / अर्दली	3	3	–
21	वरिष्ठ सहायक	6	–	6
22	कनिष्ठ सहायक	8	1	7
23	वाहन चालक	6	2	4
24	च.श्रे.कर्मचारी / प्रोसेस सर्वर	13	4	9
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / एक्स सर्विसमैन / होमगार्ड	3	3	–
	योग	**69**	**28**	**41**

रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत / प्लेसमेन्ट एजेन्सी से 33 कार्मिक कार्यरत है। आयोग में कार्यरत अध्यक्ष, सदस्यगणों तथा अधिकारियों की सूची एवं दूरभाष नम्बर आदि का विवरण परिशिष्ठ–1 एवं 2 पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का स्वीकृत अनुदान एवं माह दिसम्बर, 2020 तक व्यय निम्नानुसार है :–

मांग संख्या – 33 **राशि लाखों में**

2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	व्यय
02	समाज कल्याण		
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		
(05)	राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान		
01	राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान (प्रतिबद्ध)		
12	सहायता अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	104.50	23.44
92	सहायता अनुदान संवेतन (राज्य निधि)	484.00	261.25
	योग	**588.50**	**284.69**

राज्य आयोग की शक्तियां

शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ–पत्र पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय का कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए;

आयोग यदि किसी व्यक्ति से सुसंगत बिन्दुओं पर सूचना चाहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 एवं 177 के अधीन ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा। किसी भी स्थान के निरीक्षण हेतु आयोग किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 में निहित शक्तियां प्राप्त होगीं और वह किसी भी दस्तावेज का उद्‌धरण या प्रतिलिपि ले सकता है।

अनुसंधान हेतु आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सहमति से कर सकता है।

जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई भी अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया गया है, आयोग के निर्देश एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा ओर हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा; या

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

धारा 15 के उपबन्ध किसी अधिकारी या एजेन्सी के, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया गया है, के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी बयान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किन्हीं बयानों के संबंध में लागू होते हैं।

अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उप–धारा (1) के अधीन किया गया है, जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करेगी तथा उस पर प्रतिवेदन आयोग को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो इस संबंध में आयोग द्वारा विहित की जाएगी।

आयोग अभिकथित तथ्यों एवं उपधारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में निकाले गये परिणामों यदि कोई हो, की सत्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच (जिसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी शामिल है, जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की) करेगा, जो वह उचित समझेगा।

शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई की प्रक्रिया

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में यह विहित किया गया है कि आयोग ऐसे समय एवं स्थान पर बैठक करेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझेगा। कार्य प्रणाली का निर्धारण आयोग द्वारा स्वयं किया जाता है।
2. कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 लागू है।
3. आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। आयोग द्वारा ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई–शिविर व बैठकें भी आयोजित की जाती है।
4. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाः–परिवादों को किसी भी माध्यम से यथा स्वयं उपस्थित होकर, पत्र द्वारा, फैक्स द्वारा, मेल द्वारा आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। समाचार–पत्र में छपी खबरों पर भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है। परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ कोई फीस देय नहीं है। आयोग परिवाद के विषय में अतिरिक्त सूचनाऐं जो आवश्यक समझता है, मंगा सकता है। आवश्यकतानुरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे सकता है।
5. आयोग द्वारा साधारणतः ग्रहण नहीं करने योग्य परिवाद निम्न प्रकार हैः–
    1. अस्पष्ट या अनाम या अपठनीय, तुच्छ या अकारण किसी को परेशान करने वाले।
    2. किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित मामले।
    3. एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण।
    4. सिविल विवाद से संबंधित जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदागत बाध्यताएं आदि।
    5. सेवा या श्रम प्रकरण या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले।
    6. आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो।
    7. जहां अभिकथनों से मानवाधिकारों के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो।
    8. जहां मामला किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो।
    9. जहां मामला किसी न्यायिक अभिमत या आयोग के किसी विनिश्चय के अन्तर्गत आता हो।
    10. जहां आयोग को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रेषित परिवाद की प्रति प्राप्त हो।
    11. जहां मामला आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर हो।

परिवाद प्राप्त होते ही उनको वर्गवार छंटनी कर जांच हेतु संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। वर्गीकरण के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र– क अथवा ख में परिवाद भरे जाकर रजिस्ट्रीकरण अनुभाग को भेजे जाते हैं।

6. शिकायतों का पंजीयनः–

रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले प्रत्येक परिवाद के संबंध में जिला कोड और रजिस्ट्रीकरण के वर्ष सहित प्रकरण संख्यांक, डायरी संख्यांक डाले जाते हैं। रजिस्ट्रीकृत समस्त परिवाद यथासम्भव शीघ्र सात दिवस के अन्दर आयोग के समक्ष रखे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय के विशेष या साधारण आदेशों केअध्यधीन एकलपीठ, खण्डपीठ अथवा पूर्णपीठ द्वारा प्रकरण निपटाए जाते हैं।

प्रारम्भिक विचार के पश्चात्, यदि आयोग प्रकरण को खारिज करता है तो, परिवादी को सूचित किया जाता है। यदि परिवाद ग्रहण कर लिया जाता है या स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है तो नोटिस जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

आयोग की राय में जहां ऐसे व्यक्ति को जिसके आचरण की वह जांच करता है, या जहां उसकी राय में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिकूलता प्रभावित होनी सम्भाव्य है, अपने आधार के समर्थ में साक्षी यदि कोई हो, की प्रतिपरीक्षा के अवसर सहित, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है।

जांच के पश्चात् यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसे हनन रोकने की उपेक्षा की है तो आयोग उसके विरुद्ध अभियोजन या ऐसी कार्यवाही शुरू करने की अभिशंसा, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए जो भी आवश्यक हो, अनुरोध कर सकता है।

आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य/सदस्यों को, जिसे आयोग आवश्यक समझे, राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

जब आपको कहीं से सहयोग का न हो आसरा ।
मानव अधिकार आयोग देगा आपको सहारा ।।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण (3–8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	85	22	0	6	0	28	57
2	अलवर	108	22	0	4	0	26	82
3	बांरा	46	15	0	2	0	17	29
4	बांसवाड़ा	28	8	0	0	0	8	20
5	बाड़मेर	22	5	0	1	0	6	16
6	भरतपुर	90	19	0	6	0	25	65
7	भीलवाड़ा	89	33	0	1	0	34	55
8	बीकानेर	65	10	0	7	0	17	48
9	बूंदी	58	12	0	1	0	13	45
10	चित्तोड़गढ़	65	27	0	2	0	29	36
11	चूरू	29	12	0	0	0	12	17
12	दौसा	57	12	0	1	0	13	44
13	धोलपुर	54	20	0	5	0	25	29
14	डूंगरपुर	27	6	0	0	0	6	21
15	हनुमानगढ़	35	6	0	1	0	7	28
16	श्री गंगानगर	58	15	0	0	0	15	43
17	जयपुर	378	90	0	11	0	101	277
18	जैसलमेर	9	0	0	0	0	0	9
19	जालौर	38	4	0	2	0	6	32
20	झालावाड़	63	33	0	1	1	35	28
21	झुन्झुनू	44	9	0	2	0	11	33
22	जोधपुर	113	29	0	9	0	38	75
23	करौली	43	9	0	6	0	15	28
24	कोटा	69	17	0	3	0	20	49
25	नागौर	54	14	0	5	0	19	35
26	पाली	68	23	0	3	0	26	42
27	राजसमन्द	13	3	0	0	0	3	10
28	स.माधोपुर	56	13	0	3	0	16	40
29	सीकर	77	18	0	3	0	21	56
30	सिरोही	32	12	0	0	0	12	20
31	टोंक	48	9	0	2	0	11	37
32	उदयपुर	90	20	0	4	1	25	65
33	प्रतापगढ	29	7	0	2	0	9	20
34	राज्य से बाहर	14	3	0	0	0	3	11
	योग	**2154**	**557**	**0**	**93**	**2**	**652**	**1502**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

01 अप्रेल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	जिलेका नाम	बालकसे संबंधित (100.01 से100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेलसे सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकोंसे सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक वअन्य (600.01 से 600.03)	पुलिससे सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय सेसम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओंसे सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहणनही करनेयोग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	बलात्कारसे संबंधित प्रकरण (1003.01से 1003.07)	पेंशन प्रकरण (1004)	सिलिकोसिस संबंधित समस्त प्रकरण (1005)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अजमेर	0	0	3	3	2	3	20	0	1	6	8	33	2	0	4	85
2	अलवर	1	0	2	4	1	4	39	0	0	4	15	31	7	0	0	108
3	बांरा	0	0	1	2	1	0	13	0	0	1	4	21	3	0	0	46
4	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	1	6	0	0	4	3	13	1	0	0	28
5	बाड़मेर	0	0	0	1	0	0	3	0	3	2	3	10	0	0	0	22
6	भरतपुर	1	1	2	11	1	4	22	0	0	8	2	32	4	2	0	90
7	भीलवाड़ा	1	0	1	1	1	2	21	0	1	5	8	43	5	0	0	89
8	बीकानेर	1	4	3	2	2	0	13	1	1	3	13	17	3	2	0	65
9	बूंदी	1	1	0	4	0	2	24	0	1	2	4	17	2	0	0	58
10	चित्तोड़गढ़	0	0	0	4	0	1	14	0	1	2	3	39	1	0	0	65
11	चूरू	0	5	1	0	0	0	5	0	0	1	3	13	0	1	0	29
12	दौसा	0	5	0	3	0	0	17	1	1	2	8	17	2	1	0	57
13	धोलपुर	0	1	0	6	0	1	12	0	0	3	2	28	1	0	0	54
14	डूंगरपुर	0	0	0	1	0	1	10	0	0	0	4	9	1	1	0	27
15	हनुमानगढ़	0	0	1	0	0	1	8	0	0	1	3	18	3	0	0	35
16	श्री गंगानगर	0	1	6	0	1	0	13	0	0	1	4	25	6	1	0	58
17	जयपुर	5	13	11	27	8	4	82	3	2	26	35	138	9	15	0	378
18	जैसलमेर	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3	1	0	0	9
19	जालौर	0	0	1	0	0	2	9	1	1	4	7	11	1	1	0	38
20	झालावाड़	1	0	0	3	0	1	6	0	0	2	9	41	0	0	0	63
21	झुन्झुनू	1	0	0	2	1	0	13	1	0	2	4	17	2	1	0	44
22	जोधपुर	1	6	5	2	0	2	22	0	3	4	7	54	2	2	3	113

क्र.सं.	जिलेकानाम	बालकसे संबंधित (100.01 से100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेलसे सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकोंसे सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक वअन्य (600.01 से 600.03)	पुलिससे सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय सेसम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओंसे सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहणनहीं करनेयोग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	बलात्कारसे संबंधित प्रकरण (1003.01से 1003.07)	पेंशन प्रकरण (1004)	सिलिकोसिस संबंधित समस्त प्रकरण (1005)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	करौली	0	0	1	4	0	1	10	0	1	3	1	17	4	1	0	43
24	कोटा	0	2	5	1	0	1	21	1	0	4	9	22	1	2	0	69
25	नागौर	0	0	0	2	0	0	14	0	1	4	8	22	1	1	1	54
26	पाली	1	1	1	3	0	0	21	0	0	1	2	33	1	3	1	68
27	राजसमन्द	1	0	0	1	0	1	2	0	0	2	1	5	0	0	0	13
28	स.माधोपुर	1	1	0	5	0	2	13	0	0	5	5	22	1	1	0	56
29	सीकर	0	3	0	0	0	2	14	1	0	4	16	32	4	0	1	77
30	सिरोही	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	22	0	2	0	32
31	टोंक	0	0	7	1	0	3	8	1	1	1	4	16	4	2	0	48
32	उदयपुर	0	0	10	5	0	1	22	0	2	5	4	40	0	1	0	90
33	प्रतापगढ़	0	0	0	0	1	0	8	0	0	4	0	14	2	0	0	29
34	राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	14
	कुल योग	**16**	**44**	**61**	**98**	**19**	**42**	**513**	**11**	**22**	**118**	**199**	**887**	**74**	**40**	**10**	**2154**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

01 अप्रेल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 को बकाया प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	जिलेकानाम	बालकसे संबंधित (100.01 से100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेलसे सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकोंसे सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक वअन्य (600.01 से 600.03)	पुलिससे सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय सेसम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओंसे सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहणनहीं करनेयोग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	बलात्कारसे संबंधित प्रकरण (1003.01से 1003.07)	पेंशन प्रकरण (1004)	सिलिकोसिस संबंधित समस्त प्रकरण (1005)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	कुल :	**16**	**42**	**47**	**95**	**19**	**40**	**480**	**11**	**21**	**112**	**189**	**314**	**66**	**40**	**10**	**1502**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/17/540 दिनांक :–13.02.2020

एकलपीठ
समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

राज्य के लगभग सभी समाचार पत्रों में तथा लगभग सभी समाचार चैनलों पर कोरोना वायरस के संबंध में समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित हुऐ है, जिसमें कोरोना वायरस को प्राणघातक बताया जा रहा है। विश्वस्तरीय इस माहामारी के चलते, इस महामारी का भारत के अनेक राज्यों सहित राजस्थान राज्य में भी प्रवेश कर जाने की आशंकाऐं जताई जा रही है और राज्य के गहरी आबादी वाले शहरों में इसके फैलने की पूर्ण आशंका एवं संभावना हो सकती है। अतः विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों पर प्रसंज्ञान लिया जाता है।

राजस्थान राज्य के सभी जिला कलक्टर्स से एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें :–

1. राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में कोरोना वायरस से निजात पाने के सभी आवश्यक संसाधन है अथवा नहीं ?
2. चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था रखी जा रही है अथवा नहीं ?
3. क्या कोरोना से पीडित कोई मरीज अब तक राज्य के किसी चिकित्सालय में भर्ती हुआ है, यदि हुआ है तो उसके इलाज के क्या इंतजामात किये गये है और यदि अभी तक कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है तो भविष्य में इससे बचने के क्या इंतजामात किये गये है ?
4. छात्रावासों में इससे निजात के क्या इंतजाम है क्या छात्रावासों में नियमित साफ–सफाई, स्वच्छ पानी एवं अन्य की व्यवस्था की जा रही है और क्या छात्रों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है ?
5. जैसा कि हमें ज्ञात है कि राज्य सरकार ने स्वच्छता, मुफ्त दवाईयों एवं शारीरिक जांच के आदेश दे रखे है जिसका मुख्य उद्‌देश्य प्रत्येक व्यक्ति को निरोगी रखना है। अतः राज्य सरकार की

भावनाओं तथा आदेशों को ध्यान में रखते हुए इसका कार्यान्वयन करना आपका दायित्व है और इस हेतु आपने क्या—क्या कदम उठाये है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी आयोग को उपलब्ध करावे।

महानिदेशक, कारागार, राजस्थान जयपुर एवं राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें :—

1. कारागारों में निरूद्ध बंदियों के लिए इस कोरोना वायरस से निजात पाने के सभी आवश्यक संसाधन है अथवा नहीं ?
2. क्या कारागारों में नियमित आवश्यक साफ—सफाई, बिजली, पानी व अन्य चिकित्सकीय सुविधाऐं नियमित रूप दी जा रही है अथवा नहीं ?, यदि दी जा रही है तो किस स्तर की दी जा रही है।

आदेश की प्रतिलिपि आज ही महानिदेशक, कारागार, राजस्थान जयपुर, राज्य के सभी जिला कलक्टर्स एवं जिला पुलिस अधीक्षकगण को एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर को जरिये फैक्स एवं ईमेल प्रेषित की जावे। उक्त सभी से अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी तारीख पेशी से पूर्व इस संबंध में सम्पूर्ण रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

पत्रावली दिनांक 18.03.2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/12/539 दिनांक :–13.02.2020

एकलपीठ
समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

परिवादी श्री महेश बालाहेडी, Journalist Association of Rajasthan, (JAR) ने आज आयोग में उपस्थित होकर आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि श्रीरामकरण जोशी चिकित्सालय, जिला दौसा में सिटी स्केन मशीन व ट्रोमा यूनिट है। उक्त चिकित्सालय में मरीजों को समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से मरीजों की मृत्यु तक होना संभव है। श्रीरामकरण जोशी चिकित्सालय, जिला दौसा द्वारा बिना देरी के व समय पर सिटी स्केन व ट्रोमा यूनिट, इत्यादि की रिपोर्टें मानव के जीवन रक्षार्थ दी जानी अतिआवश्यक है परंतु समाचार पत्रों के अनुसार इस संबंध में घोर लापरवाही बरती जा रही है और लोगों की मृत्यु दर में बढोतरी हो रही है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रसंज्ञान लिया जाता है।

परिवादी ने यह भी अभिकथन किया है कि सिटी स्केन करने के पश्चात लगभग दूसरे दिन सिटी स्केन की रिपोर्ट आती है। इस संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में गंभीर मुद्दे उठाये गये है। आयोग निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करता है :–

1. क्या कारण है कि चिकित्सालय में ही की गई सिटी स्केन की रिपोर्ट पीडित को दूसरे दिन प्राप्त होती है ?
2. क्या कारण है कि सिटी स्केन की रिपोर्ट कल्पना नर्सिंग होम उदयपुर द्वारा दिये जाने पर मनमानी की जाती है जिसका सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पडता है ?
3. जिला चिकित्सालय के सामने स्थित प्राईवेट सिटी स्केन द्वारा सिटी स्केन व अन्य रिपोर्टें एक घण्टें की अवधी के अंदर दे दी जाती है जबकि कल्पना नर्सिंग होम उदयपुर के संचालक एम.ओ.यू की शर्तों का उल्लंघन कर दूसरे दिन रिपोर्ट देते है, इसका क्या कारण है।
4. सिटी स्केन संचालन संस्था के खिलाफ पी.एम.ओ. द्वारा क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है ?

5. क्या सिटी स्केन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के चलते किसी मरीज की मृत्यु भी हुई है यदि हुई हो तो दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

इस आदेश की प्रतिलिपि एवं समाचार पत्र की कतरन की प्रतिलिपि **निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, राजस्थान जयपुर, जिला कलक्टर, दौसा व जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दौसा को प्रेषित की जावे।** उक्त सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रकरण के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

पत्रावली दिनांक 18.03.2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/ / दिनांक :–02.03.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' के आज के अंक दिनांक 28.02.2020 में प्रकाशित समाचार के अनुसार बिना किसी अपराध व मुकदमें के 24 घण्टें पुलिस हिरासत में रखा गया तथा युवक के साथ में मारपीट की गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकाशित समाचार पर आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है।

समाचार पत्र की प्रतिलिपि एवं इस आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जावे। प्रतिलिपि प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में जांच कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

पत्रावली दिनांक 03 अप्रेल, 2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/17/716 दिनांक :–03.03.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह पढने को मिला है कि ''दो मंजिला मकान ध्वस्त, एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, सिलेण्डर फटा, महिला समेत दो की मौत'' राजस्थान के प्रसिद्ध भगवान शिव के ताडकेश्वर मन्दिर परिसर स्थित एक मकान में धमाके के साथ आग लग गई। समाचार पत्र में यह भी अभिकथित किया गया है कि विस्फोट से दो मंजिला मकान ध्वस्त हो गया और मलबे में दबने से एक महिला सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई व एक व्यक्ति अस्सी फीसदी झुलस गया।

समाचार पत्रों में यह भी अभिकथित किया गया है कि मलबे से मंजू पाराशर एवं अभिषेक का शव करीबन साढे तीन घण्टे बाद निकाला गया। अतः उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकाशित समाचार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, राजस्थान जयपुर द्वारा पेट्रोलिय विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि सभी गैस एजेसिंयों में सुरक्षा हेतु सावधानियां बरती जाती है अथवा नहीं ?, सभी गैस एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा हेतु क्या–क्या सवधानियां बरती जाती है। गैस के सिलेण्डर बहुत पुराने होते है, इनका विनिर्माण (Manufacturing) एवं इनकी समाप्ति (Expiry) तारीखें कब की होती है, यह भी पता स्पष्टरूप से नहीं चलता है। अतः इस संबंध में सम्पूर्ण रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करें। क्योंकि इस प्रकार की घटनाऐं बार–बार होती रहती है। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए विभाग द्वारा अन्य क्या–क्या सुरक्षा के इंतजामात किये जाते है। इस संबंध में पेट्रोलिय विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली राज्य आयोग को सम्पूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध करावे।

इस आदेश की प्रतिलिपि एवं प्रकाशित समाचार की कतरन सचिव, पेट्रोलिय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में जांच कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।

पत्रावली दिनांक 20 अप्रेल, 2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/12/1572 दिनांक :–04.09.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

राजस्थान पत्रिका, दौसा के अंक में दिनांक 31.08.2020 को समाचार प्रकाशित हुआ है कि **''लापरवाही : अस्पताल में नहीं मिले चिकित्सक, पेड के नीचे परिजनों ने कराया प्रसव''**

उपरोक्त प्रकाशित समाचार में अंकित तथ्यों को आयोग गंभीरता से लेते हुए उक्त समाचार पर प्रसंज्ञान लेना उचित समझता है। जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा, जिला कलक्टर, दौसा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक 23.11.2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/22/1607 दिनांक :–04.09.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

परिवादी श्री श्यामसुन्दर साद द्वारा आयोग में एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जिसमें परिवादी द्वारा उल्लेख किया गया है कि महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में अमानवीयता की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही एवं घोर उपेक्षा के चलते तीन कोरोना पॉजिटिव उपचारित मरीजों की असमय ही मृत्यु हो गई है। जिसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन एवं अधिकारी है। अतः इस संबंध में कडी कार्यवाही की जावे। उक्त तथ्यों के संबंध में परिवादी द्वारा परिवाद के साथ समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 03.09.2020 की प्रतिलिपि भी संलग्न कर प्रेषित की गई है।

परिवादी द्वारा प्रेषित परिवाद में अंकित तथ्यों एवं संलग्न समाचार कटींग में अंकित तथ्यों को आयोग गंभीरता से लेता है एवं प्रकरण में प्रसंज्ञान लेना उचित समझता है। संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर, पुलिस कमिश्नर, जोधपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक 23.11.2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/24/959 दिनांक :–18.05.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

दैनिक भास्कर, सोमवार, 18 मई, 2020, जयपुर के अंक में प्रकाशित हुआ है कि **''कोटा में रिश्तों की शर्मसार कही जाने वाली घटना हुई जिसमें बेटा गिरफ्तार'' उक्त प्रकाशित खबर से वास्तव में मानव के मूल्यों को बहुत चोट पहुची है जो खबर छपी है वह निम्न प्रकार है :–**

''मकान की चाह में 50 साल के बेटे ने 75 साल की मां के अश्लील फोटो खींच लिए और व्हाट्सएक पर वायरल कर दिये। कोटा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस प्रकार की घटना हुई, समाचार में यह भी प्रकाशित किया गया है कि मकान तो बेटे को ही मिलना था, फिर ऐसी हरकत क्यों.... उक्त घटना में बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।''

उपरोक्त खबर को पढ कर ह्दय को आघात करने वाली चोट पहुची है कि मॉ–बेटे के पवित्र बंधन को किस प्रकार शर्मसार किया गया है। एक बेटे ने मात्र संपत्ति के लिए अपनी 75 साल की मां के अश्लील फोटो खेचे और वायरल कर दिये। यह कानून बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे पवित्र बंधन को किस प्रकार पापमय एवं तारतार करके उसे इस प्रकार दूषित किया जावेगा।

अपराधी/बेटे ने अपनी मॉ का अश्लील फोटो वायरल करते समय यह भी नहीं सोचा कि इस कोरोना के संकट के समय जब सभी धर्मों के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे है कि यह कोरोना संकट समाप्त हो जावे और सम्पूर्ण जनमानस को राहत की प्राप्ति हो, ऐसे संकट के समय में उपरोक्त जघन्य अपराध एक ऐसी वृद्वा के साथ किया जाना जिसकी उम्र 75 वर्ष है तथा उसकी कोख से वह पैदा हुआ है। इस ह्दय विदारक, दर्दनाक, पापयुक्त, अधर्मयुक्त, अमानवीय घटना पर प्रथम दृष्टया राज्य आयोग प्रसंज्ञान लेता है।

प्रकाशित समाचार की छांयाप्रति एवं इस आदेश की प्रति **पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेन्ज, कोटा एवं जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा** को प्रेषित की जावे।

वह इस प्रकरण की गहनतापूर्वक अपनी निगरानी में अनुसंधान करावे तथा प्रकरण की सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आयोग के समक्ष आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें ताकि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो।

पत्रावली दिनांक 24 जून, 2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2016/32/424 दिनांक :–02.11.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

परिवादी श्री मनालाल द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), उदयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर तथा तहसीलदार, झाडोल को प्रेषित पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2019 की प्रतिलिपि आयोग को पृष्ठांकित कर प्रेषित की गई है।

वर्ष 2016 से विचाराधीन इस प्रकरण में जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर के स्तर पर कई बार हुए पत्राचार की प्रतिलिपियां मात्र आयोग को पृष्ठांकित करने की बजाय जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रकरण निस्तारण हेतु जारी निर्देशों की पालना में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जानी चाहिए थी, परन्तु प्रतीत होता है प्रकरण निस्तारण में स्वयं जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर भी उदासीन है। उदयपुर जिला कलक्टर कार्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित पत्रों की प्रतिलिपियां आयोग को पृष्ठांकित कर मात्र यही लाचारी प्रकट कर पा रहा है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण उदयपुर जिला कलक्टर कार्यालय के आदेशों/निर्देशों की कोई परवाह नहीं करते हैं। आयोग को पुनः लिखना पड रहा है कि यह प्रकरण काफी पुराना होकर आयोग में वर्ष 2016 से विचाराधीन है, तथापि राज्य आयोग को इस प्रकरण के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर एवं प्रकरण में निस्तारण में देरी हेतु उत्तरदाई उनके अधीन अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत कोई कठोर कार्यवाही करने से पूर्व एक और अवसर दिया जाना उचित होगा।

अतः इस आदेश की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, उदयपुर को भेजकर अपेक्षा की जावे कि प्रकरण निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें एवं की गई कार्यवाही की प्रगति अथवा प्रकरण निस्तारण की रिपोर्ट राज्य आयोग को आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रेषित करें। आयोग को रिपोर्ट भेजने से पूर्व यह भी ध्यान रखा जावे कि प्रकरण में आयोग द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), उदयपुर से रिपोर्ट तलब नहीं की

गई है, जबकि जिला कलक्टर, उदयपुर के अधीन अधिकारी सीधे ही राज्य आयोग को गैरजरूरी रिपोर्ट्स प्रेषित कर रहे हैं। जिस अधिकारी से आयोग रिपोर्ट तलब करता है, वही अधिकारी आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है। अतः जिला कलक्टर, उदयपुर स्वयं प्रकरण की वस्तुस्थिति की गहन जांच कराकर अपेक्षित कार्यवाही करावें एवं प्रकरण निस्तारण अथवा प्रकरण निस्तारण हेतु की गई कार्यवाही की स्वहस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।

पत्रावली दिनांक 04 फरवरी, 2021 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2015/21/683 दिनांक :–05.10.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

झुन्झुनूं जिले में के चिकित्सा विभाग के अधीन कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्य कर सेवानिवृत हुए कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी राज्य आयोग के तत्कालीन माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन के आदेश की पालना में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक कोष/पेंशन/2015/6275 दिनांक 13 फरवरी, 2015 पर आदेश दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अन्य सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों के साथ ही डॉ. विजय कुमार दलेला के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं से प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही कर प्रगति/निस्तारण की रिपोर्ट तलब की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं तथा निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान एवं अधीनस्थ अधिकारीगण से हुए विभिन्न पत्राचार के पश्चात अन्ततः शासन सहायक सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप–2), राजस्थान सरकार, जयपुर का आदेश दिनांक 03 मई, 2017 राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपर्युक्त आदेश के अनुसार, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के आदेश दिनांक 29.02.2016 की पालना में **डॉ. विजय कुमार दलेला, सेवानिवृत व.वि. (शिशु) को विलम्ब से पेंशन परिलाभ पर ब्याज की राशि रूपये 2,33,155 (अक्षरे राशि दो लाख तैंतीस हजार एक सौ पचपन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति बजट मद 20171–01–800–(01) से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।**

प्रकरण वर्ष 2015 से राज्य आयोग में विचाराधीन है। परिवाद सम्बन्धी पेंशन प्रकरणों का उचित निस्तारण हो चुका है। अतः परिवाद समाप्त किया जाता है।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2016/26/898 दिनांक :–06.10.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

राज्य आयोग के आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2016 नगर परिषद, पाली एवं उनके अधीन कार्यालयों में लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रसंज्ञान लेकर जिला कलक्टर, पाली तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, पाली से लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण/ कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। विभिन्न पत्राचार के पश्चात अन्ततः आयुक्त, नगर परिषद, पाली ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य आयोग को क्रमशः 12, 04 एवं 08, कुल 24 सेवानिवृत अधिकारी/कमचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रकरण में नगर परिषद, पाली एवं उनके अधीन कार्यालयों में 24 सेवानिवृत अधिकारी/कमचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का पूर्ण निस्तारण हो चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवाद समाप्त किया जाता है।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2018/19/4991 दिनांक :–09.11.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 (6) के तहत यह परिवाद अपेक्षित कार्यवाही हेतु राज्य आयोग को प्रेषित किया गया था। प्रकरण के परिवादी श्री राजहंस बंसल में मुख्य रूप से विद्युत कम्पनी की लापरवाही से जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के डभाल गांव की मासूम बालिका की विद्युत पोल में आये करंट से मौत हो जाने पर परिजनों को 05.00 लाख रूपये का मुआवजा दिलवाने हेतु प्रार्थना की गई थी।

प्रकरण में पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2018 की पालना में अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम, जालोर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा राज्य आयोग को अवगत कराया कि दिनांक 15 जुलाई, 2018 को सुश्री मुन्नी उर्फ अंकित उर्फ अनिता, निवासी डभाल, उपखण्ड सांचौर की विद्युत दुर्घटना में मुत्यु हुई। उक्त दुर्घटना में मृतक आश्रितों/वारिसों को कार्यालय आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2018 के तहत क्षतिपूर्ति राशि 05.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति राशि की स्वीकृती दी जा चुकी है। अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रतिलिपि परिवादी एवं पीडित पक्ष को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जावे।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2020/17/1947 दिनांक :–03.11.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

दिनांक 4.10.2020 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के जयपुर अंक में प्रकाशित समाचार **''कोविड 19 महामारी के चलते मेडिसिन रोग विभाग के डाक्टरों ने दिया प्राचार्य को प्रस्ताव, डाक्टरों ने कहा पटाखे रहित हो दीवाली, नही ंतो होगी बड़ी मुसीबत''** पर एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार **''गंभीर हो सकते हैं हालात, रोक लगे–पटाखों का धुंआ कोरोना पीड़ितों के लिए खतरनाक''** पर दिनांक 4.10.2020 को इस आयोग द्वारा इस दृष्टिकोण से स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया गया किइस समय सम्पूर्ण विश्व कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की चपेट में है एवं दीपावली पर पटाखों के उपयोग से निश्चित ही वातावरण में अत्यधिक प्रदूषण होगा, जिससे आम जन को, अस्थमा के रोगियों को एवं विशेषकर कोरोनो पीड़ितों को अत्यधिक कष्ट होगा। यह उल्लेखनीय है कि जब आयोग द्वारा इस मामले में प्रसंज्ञान लिया गया तब **सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ.सुधीर भण्डारी, मेडिसिन रोग विभागाध्यक्ष डॉ. एस.बनर्जी, सीनियर प्रोफेसर डॉ.रमन शर्मा, डा. अभिषेक अग्रवाल, डॉ.सुनील महावर, एस.एम.एस.मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक डॉ. वीरेन्द्र सिंह, डॉ. पुनीत सक्सैना एवं महात्मा गांधी अस्पताल के निदेशक डॉ. एम.एल.स्वर्णकार ने अपना यह मत व्यक्त किया कि यदि दीपावली पर आतिशबाजी व पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नहीं रोका गया तो अस्थमा, सीओपीडी इत्यादि के मरीजों के लिये विकट समस्या उत्पन्न होगी, जबकि हम सबका ''पहला सुख निरोगी काया'' का संकल्प है।**

आयोग द्वारा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स एवं राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकगण को निर्देश दिया गया कि वे मानव मूल्यों की रक्षा करें एवं पटाखों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से वातावरण को प्रदूषित होने से रोके ताकि अस्थमा, सीओपीडी के किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचे एवं कोविड 19 की रोकथाम भी हो सके। उन्हें दिनांक 12.10.2020 तक अपनी अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अजमेर,अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी,

चित्तौड़गढ़, चुरु, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमन्द, सिरोही, प्रतापगढ़ से एवं पुलिस अधीक्षक अजमेर, पाली, सीकर, जालौर, नागौर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, टोंक से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें भी उन्होनें पटाखों से होने वाले प्रदूषण को गंभीर मानते हुए पटाखों व आतिशबाजी पर रोक लगाये जाने व इनके अस्थाई लाईसेन्स नहीं दिये जाने का मत व्यक्त किया है।

दिनांक 12.10.2020 को श्रीमती नलिनी कठोतिया, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान जयपुर ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने की प्रार्थना की।

आज **श्रीमती नलीनी कठोतिया, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर** ने इस आयोग के समक्ष उपस्थित होकर राज्य सरकार की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2020 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार हैः–

Government of Rajasthan
Home (Gr.V) Department

No.F. 9(16) Home-5/2020 Jaipur, Dated 03.11.2020

Notification

In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 (Act No. 21 of 2020), the State Government hereby makes the following amendments in regulations issued by this department's even number notification dated 03.05.2020 and published in Gazette vide GSR 113 dated 03.05.2020, as amended from time to time namely:-

AMENDMENTS

In the said regulations, after the existing regulation 13, the following new regulations 14 and 15 shall be added, namely:-

"14. No shopkeeper shall sell any kind of fireworks.

15. No person shall use or allow to fire any kind of fireworks."

By order of the Governor,

(Abhay Kumar)
Principal Secretary to the Government.

Government of Rajasthan
Home (Gr.V) Department

No.F. 9(16) Home-5/2020 Jaipur, Dated 03.11.2020

Notification

In continuation of this department's notification even number dated 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020, 27.07.2020 and 17.10.2020, in exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 (Act No. 21 of 2020), the State Government hereby authorizes all Executive Magistrates, all Police Officers not below the rank of Assistant Sub-Inspector, all officers of Municipal Corporation/Council/Board not below the rank of Revenue Inspector, all Chief Executive Officers of Zila Parisad and all Block Development Officers, within their respective jurisdiction, to compound the offences committed under section 4 of the said Act, by violating the order or regulation prohibiting the actions specified in column 2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

Schedule

S.No.	Offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	2	3
1.	Any shopkeeper selling any kind of fireworks.	Rs. 10,000/-
2.	Any person found using or allow the firing of any kind of fireworks.	Rs. 2000/-

By order of the Governor,

(Abhay Kumar)
Principal Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांकः प. 2(1) गृह-9/2012

जयपुर, दिनांकः 02/11/2020.

परामर्शदात्री

वर्तमान में सम्पूर्ण भारत वर्ष में वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना वाइरस डिजीज -2019) फैली हुई है। इसी वजह से राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 दिनांक 1 मई, 2020 को जारी किया एवं उक्त अध्यादेश की धारा 3 में अधिसूचना जारी कर कोविड-19 को सम्पूर्ण राज्य के लिए महामारी अधिसूचित किया। राज्य में कोविड-19 के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।

कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की श्वसनकिया प्रभावित होती है, इसलिये यह आवश्यक है कि वायुमण्डल प्रदूषण रहित हो।

राज्य सरकार के सलाहकार समूह (कोविड 19) द्वारा भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया है कि पटाखों के चलन से होने वाले वायु प्रदूषण (धुंए) से श्वसन तंत्र विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखों के धुओं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा, और कोविड-19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभाव विपरीत रूप से प्रभावित होते है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशनों, का हवाला भी दिया है। उक्त आधारों पर सलाहकार समूह ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल नही करने की अनुशंसा की है।

राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की एवं श्वसन-रोगों से पीड़ित नागरिको के स्वास्थ्य की रक्षार्थ तुरन्त प्रभाव से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 सपठित विस्फोटक नियम, 2008 में आतिशबाजी की अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licencing Authority) को यह परामर्श देती है कि वे राज्य में कोविड-19 (कोरोना वाइरस डिजीज -2019) से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी न करें।

इसकी कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव गृह

राज्य सरकार के उक्त आदेश का अवलोकन करने के उपरान्त हम **माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी की सराहना करते हैं कि उन्होनें जनहित में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कोरोना महामारी के मध्यनजर अत्यन्त महत्वपूर्ण आदेश पारित कर आगामी दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी व पटाखों पर रोक लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने न केवल आतिशबाजी व पटाखों पर ही रोक लगाई है अपितु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में भी संबंधित विभागों को निर्देश दिये हैं। इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ''शुद्व के लिये युद्व'' कार्यकम चलाया है वह वास्तव में जन स्वास्थ्य के मध्यनजर एक महत्वपूर्ण कदम है एवं सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिलावट के अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाये जाने हेतु कार्यवाही की है। इसके अतिरिक्तकोरोना वायरस संकमण महामारी के मद्देनजर राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यकमों में शामिल होने के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए इसके लिये विधानसभा में सोमवार को राजस्थान महामारी (संशोधन) विध ेयक 2020 ध्वनिमत से पारित किया। विधेयक की धारा 4 में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में बिना मास्क वाले लोगों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा विधानसभा में सिविल प्रकिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 भी ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि राज्य की संवेदनशील सरकार जन स्वास्थ्य को लेकर अत्यन्त जागरुक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से उठाये गये कदम सराहनीय है।**

विभिन्न जिलों के जिलाधीश महोदयगण एवं पुलिस अधीक्षकगण से जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है उनमें भी यही व्यक्त किया गया है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिये आतिशबाजी व पटाखों पर रोक लगाई जानी चाहिये।

इस आयोग के समक्ष राजस्थान फायर वर्क्स डीलर एण्ड मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विशेष रुप से यह अंकन किया गया है कि दीपावली का पर्व हिन्दू समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जिस पर हर्ष उल्लास के साथ उत्साहित होकर आतिशबाजी की जाती है, पटाखों पर सम्पूर्ण रोक लगाने से हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, गत कुछ महीनों से

कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं, सम्पूर्ण व्यवसाय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अगर पटाखों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तो उक्त व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पायेगा, राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा पटाखों का लाईसेन्स जारी किया जा चुका है, अगर पटाखों पर पूर्ण रुप से रोक लगती है तो व्यापारियों को बहुत बड़ा घाटा होगा।

यहां यह लिखना उपयुक्त होगा कि पटाखों के धुंए व प्रदूषण से कोई कोरोना मरीज गंभीर रुप से प्रभावित हो या किसी कोरोना मरीज की इस कारण से मृत्यु हो जाये ऐसी स्थिति में पटाखा उघोग को होने वाली हानि कोई मायने नहीं रखती है। यह भी सिद्वान्त ध्यान में रखना होगा कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकार को बचाने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति के मानव अधिकार, उसके स्वास्थ्य या जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। वर्तमान परिदृश्य के मध्यनजर एवं डाक्टरों की राय के मुताबिक कोरोना मरीजों को पटाखों के धुंए का प्रदूषण गंभीर हो सकता है, जिससे कोरोना मरीजों की स्थिति और गंभीर हो सकती है एवं किन्ही कोरोना मरीज या मरीजों की मृत्यु तक हो सकती है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1) में मानव अधिकार को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

(घ) ''मानव अधिकार'' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

आयोग का प्रथम कर्तव्य लोगों के मानव अधिकार की रक्षा के साथ साथ उनके जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिपोर्टो एवं सामग्री का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस मामले में उपरोक्त वर्णित समस्त संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश पारित करते हैं :–

1. वे अपने अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली क्षति के सम्बन्ध में प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों में जागरुकता उत्पन्न हो और वे इस आदेश का दिल से पालन करे। यह तभी संभव होगा जब संबंधित पुलिस अधिकारी अपने बीट अधिकारियों को उपयुक्त प्रकरण से निर्देशित करे।
2. उपरोक्त वर्णित समस्त चिकित्सकों, जिन्होनें पटाखों के प्रदूषण से कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य पर होने पर गंभीर प्रभाव होने का मत व्यक्त किया है, की यह आयोग सराहना करता है एवं उनसे यह अपेक्षा करता है कि भविष्य में भी वे समय समय पर जन स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए अपनी राय देते रहेंगे ताकि मानव जीवन के मूल्यों के साथ किसी प्रकार की खिलावाड़ नहीं हो। उन्हें भी इस आदेश की एक एक प्रति प्रेषित की जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा इस विषय में जो कदम उठाया गया है वह वास्तव में सराहनीय है और यह आयोग इसकी सराहना करता है।
4. इस आदेश की एक एक प्रति उपरोक्त वर्णित चिकित्सकों को प्रेषित की जावे।
5. राज्य सरकार के संबंधित विभागों तथा इस आयोग द्वारा पूर्व में जिन जिनको नोटिस जारी किये गये हैं उन सभी को भी इस आदेश की एक एक प्रति प्रेषित की जावे।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/24/2717 दिनांक :–11.12.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

आज दिनांक 11.12.2020 को विभिन्न समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में प्रकाशित समाचार एवं विभिन्न टीवी चैनलों में प्रसारित खबर **''कोटा के जे.के.लोन चिकित्सालय में 12 नवजातों की मौत''।**

उपरोक्त समाचार वास्तव में ह्दयविदारक एवं मानवता की सीमा को पार करने वाला है। यह ह्दयविदारक इसलिए भी है कि कैसे एक नवजात शिशु ने अपने जीवन के कुछ ही समय पश्चात अपने प्राणों का अंत कर लिया। आयोग प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेता है।

कोटा में हुई नवजात शिशुओं की मृत्यु प्रकृतिक है अथवा किसी चिकित्सक या अधिकारी की लापरवाही से हुई है, इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए आयोग उचित समझता है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सचिव, श्री बी.एल. मीना (आई.ए.एस) एवं राज्य आयोग के रजिस्ट्रार, श्री ओमी पुरोहित (जिला न्यायाधीश स्तर) इस घटना की संभागीय आयुक्त, कोटा, महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेन्ज, कोटा, जिला कलक्टर, कोटा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा, अधिक्षक, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा से सम्पर्क कर प्रकरण की जांच कर, सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त घटना के संबंध में किस–किस विभाग द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई है। इस संबंध में भी कमेटी 15 दिवस के अंदर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

आयोग के सचिव एवं रजिस्ट्रार संबंधित चिकित्सालय का कोटा जाकर दौरा करें तथा

उक्त घटित घटना के तथ्यों का पता लगा कर सम्पूर्ण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, विशेषतौर पर ऐसी ह्दयविदारक घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इस संबंध में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रतिलिपि आज ही संबंधित अधिकारीगण को जरिये ईमेल एवं फैक्स से उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली दिनांक 24.12.2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2017/16/1461 दिनांक :–13.11.2020

एकलपीठ

समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

परिवादी श्री दीनानाथ पुत्र श्री जोगिन्दर, निवासी गली नं. 04, वार्ड नं. 03, शक्तिनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद अप्रैल, 2017 में राज्य आयोग को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी दिव्यांग है, जिला प्रशासन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थी के ओर से कई प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, आगामी सप्ताह में प्रार्थी की बहन का विवाह निश्चित हुआ है इत्यादि।

परिवाद की प्रतिलिपि राज्य आयोग को आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2015 द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य आयोग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई। परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि अप्रैल, 2017 से आज दिनांक तक कई स्मरण पत्र जारी किये जाने व 03 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी राज्य आयोग में लम्बित इस संवेदनशील प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर एवं उनका कार्यालय पूर्ण रूप से संवेदनहीन ही रहा और राज्य आयोग के आदेशों की कोई परवाह किये बिना आयोग कार्यालय के नोटिसों का कोई जवाब आयोग में पेश नहीं किया गया।

उक्त गम्भीर लापरवाही के लिए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर तथा इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार उनके अधीन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध राज्य सरकार को आदेश/अनुशंषा प्रेषित किये जाने पूर्व उन्हें एक अवसर दिया जाना उचित होगा। अतः इस आदेश की प्रतिलिपि जरिये अर्धशासकीय

पत्र जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर उनसे आग्रह किया जावे कि प्रकरण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से राज्य आयोग को आगामी तारीख पेशी से पूर्व अवगत करावें।

पत्रावली दिनांक 04 मार्च, 2021 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 2020/22/2380 दिनांक :–19.11.2020

एकलपीठ
समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जोधपुर के अध्यक्ष श्री रणजीत जोशी एवं संघ के अन्य पदाधिकारीगण ने संघ के लैटर हैड पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि, राजकीय चिकत्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों में उपचार की पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं हैं तथा मरीज को वे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए, इसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने राजकीय अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं होने से चिकित्सालय को छोडा था। जोधपुर शहर एवं आसपास के कस्बों में कोविड–19 महामारी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है एवं जोधपुर के प्रमुख तीनों अस्पतालों, महात्मा गांधी चिकित्सालय, मथुरादास माथुर चिकित्सालय एवं अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, तीनों राजकीय अस्पतालों सहित निजी चिकित्सालयों, जैसे मेडिपल्स, गोयल अस्पताल, राजदादीसा अस्पताल, वसुंधरा अस्पताल सहित अन्य सभी निर्धारित कोविड–19 अस्पताल, देखभाल व सार–सम्भाल, उचित उपचार के अभाव में रामभरोसे हैं। सभी कोवि–19 केयर सेन्टर्स में सीटी स्केन, एमआरआई व ब्लड टेस्ट की जांच के 6 हजार से लेकर 16 हजार तक शुल्क वसूल किये जा रहे हैं एवं जो निजी अस्पताल हैं वो जनता से मनमर्जी की फीस वसूल करते हैं व फीस नहीं चुकाने पर मरीज का उपचार नहीं किया जाता है। सभी अस्पतालों द्वारा सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण एवं चिकित्सा सुविधाओं की दुर्दशा एवं उचित देखभाल नहीं होने से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में पिछले तीन माह से आम जनता एवं अधिवक्ताओं को भर्ती नहीं किया जा रहा है। प्रशासन स्तर पर भी कोविड–19 के मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती करने एवं स्वयं के घर पर क्वारेंटीन किये जाने पर नोटिस चस्पा किये जाने का सम्पूर्ण कार्य भी बन्द कर दिया गया है। श्री जोशी ने अनुरोध किया है कि राज्य आयोग इस गम्भीर समस्या पर प्रसंज्ञान लेकर एक मोनिटरिंग कमेटी का गठन कराकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों/आदेशों में घोषित अन्य सभी अधिकारों से सर्वोच्च अधिकार, जीवन के अधिकार की रक्षा करावें। एम्स, मथुरादास माथुर, महात्मा गांधी सहित अन्य सभी प्राईवेट अस्पतालों जहां कोविड–19

का ईलाज होता है उनका एवं राज्य के अन्य सभी प्राईवेट अस्पतालों जहां कोविड–19 का ईलाज होता है उनका एवं राज्य के अन्य सभी अस्पतालों का भी निरीक्षण करावें व उनके सारे रिकॉर्ड मांगकर इन अस्पतालों में कोविड–19 के मरीजों के बैड्स की संख्या बढाने व इन सभी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन सिलैण्डर्स, एमआरआई, सीटी स्केन, वैन्टीलेटर्स जीवनरक्षक उपकरणों की सुविधाओं को बढाने के लिए राज्य सरकार व निजी अस्पतालों को तुरंत प्रभाव से निर्देश करावें, ताकि राजस्थान का आम नागरिक अपने जीवन की रक्षार्थ दवाईयां सस्ती, सुलभ व त्वरित रूप से प्राप्त कर सके इत्यादि।

ऐसे समय में जब कोविड–19 का प्रकोप भयंकर है और हर व्यक्ति इस बीमारी से सम्भावित हानियों के बारे में आतंकित एवं भयभीत है, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जोधपुर द्वारा जागरूकता दिखाते हुए प्राणों की रक्षा के इस प्रमुख मानव अधिकार हेतु राज्य आयोग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जोधपुर शहर में वर्तमान में कोविड–19 बीमारी से सम्बन्धित वर्तमान समस्याओं की ओर राज्य आयोग का ध्यान आकर्षित कर उपायों का सुझाव दिया है, इसके लिए राज्य आयोग राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जोधपुर एवं संघ के सभी अधिवक्तागण की सराहना करता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रथम अध्याय में मानव अधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि : '' **'मानव अधिकार' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।''**

अतः परिवादी श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर सहित विभिन्न समाचार पत्रों के जोधपुर संस्करण में प्रकाशित खबरों को ध्यान में रखते हुए तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में परिभाषित मानव अधिकार में प्रमुख मानव अधिकार, राज्य के नागरिकों के प्राण की रक्षार्थ इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया जाता है।

जहां एक ओर, राजस्थान पत्रिका के दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के जोधपुर संस्करण में मुख्य पृष्ठ पर कोविड–19 बीमारी पर राज्य की स्थिति के सम्बन्ध में, ''**प्रदेश में कोरोना : सुविधाएं कर दी बंद, दूसरी लहर की आशंका की बीच संक्रमित अब भगवान भरोसे**'' शीर्षक से प्रकाशित खबर तथा प्रमुखता से प्रकाशित अन्य खबरों का अवलोकन किया। वहीं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के इसी अंक के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार अनुसार, राज्य सरकार ने कोविड–19 के सम्भावित खतरे को देखते हुए बच्चों–अभिभावकों से जुडे दो अहम फैसले, प्रथम, दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक सभी शैक्षणिक संस्थान बन्द रखने तथा दूसरा, अब निजी स्कूलों में भी प्रवेश से लेकर टीसी तक ऑनलाइन होगी एवं इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। यही नहीं, समाचार जगत में दिनांक

19 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित समचार तथा राजस्थान पत्रिका दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के अंक में षनिजी अस्पताल निर्धारित दरों पर ही करें कोविड रोगियों का ईलाजष शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने कोविड–19 महामारी के इस विकट दौर में जीवन रक्षा को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है तथा इसे देखते हुए निजी अस्पतालों से आह्वान किया है कि निजी अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए बैड की संख्या बढ़ाएं और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर ही इलाज कराएं। ऑक्सीजन का स्तर अचानक नीचे जाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव के लिए नियमित रूप से ऑक्सीजन लेवल जांचना जरूरी है। माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा खबर के हवाले से बताया गया है कि, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर के एएनएम स्तर तक के चिकित्साकर्मियों को पहले से ही पल्स ऑसीमीर उपलब्ध करवाए हैं। अब सभी आशा सहयोगिनियों को भी पल्स ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपना ऑक्सीजन लेवल जांच सकें।

यद्यपि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों एवं फर्स्ट इंडिया, न्यूज 18, जी न्यूज सहित विभिन्न न्यूज चैनल्स द्वारा प्रसारित समाचारों के अवलोकन तथा आयोग के समक्ष उपलब्ध तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि, **कोविड–19 से संघर्ष में राज्य सरकार एवं राज्य के चिकित्साकर्मियों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा अनवरत कोविड–19 से लडने में मुख्य भूमिका निभाने वाले तमाम कोरोना योद्धाओं द्वारा सभी सम्भावित उपाय किये गये हैं, जिसके लिए राज्य आयोग राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कठोर मेहनत एवं साहसपूर्वक पूर्ण सेवाभाव से कार्यरत तमाम कोरोना योद्धाओं की सराहना करता है।**

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 से बचाव हेतु सभी सम्भावित उपाय किये जा रहे हैं एवं राज्य सरकार इस वैश्विक महामारी से प्रभावितों के प्रति काफी संवेदनशील है एवं आंकडों से भी यह तथ्य प्रमाणित है कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत कोविड–19 के संक्रमण हेतु प्रभावी कार्यवाही कर बेहतर नतीजे दिये गये हैं, तथापि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ऐसी कुछ नकारात्मक सूचनाएं सामने आ रही है। **दैनिक भास्कर के दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के अंक** में कोविड–19 के सम्बन्ध में विस्तार से समाचार प्रकाशित कर अंकित किया गया है कि, **''डॉक्टर्स ने स्पष्ट किया है कि निगम चुनाव और दीवाली से पूर्व बाजारों में की गई खरीददारी के दौरान मॉस्क, सोशियल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। परिणाम सामने है पॉजिटिव मरीजों का आंकडा 500 तक पहुंच गया है। यह आंकडा तब है, जबकि जांच काफी कम हो रही है।''** अतः वर्तमान परिस्थितियों एवं आगामी समय में शादी–समारोहों के सम्भावित आयोजनों में आमजन में कोविड–19 से

बचाव हेतु जागरूकता के अभाव के कारण राज्य की जनता को भारी नुकसान सम्भावित है, इसके लिए आमजन को भी जागरूक करने के लिए जागरूकता हेतु भी प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोग को इस परिवाद में वर्णित तथ्यों ने अचंभित किया कि आम जनता व विशेष रूप से अधिवक्ताओं के लिए उपरोक्त अस्पतालों में कोविड–19 संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों की युक्तिसंगत पूर्ति नहीं है। अतः हम उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझते हैं जोधपुर सम्भाग में कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम, कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के उचित उपचार की सुनिश्चिता तथा कोविड–19 सम्बन्धी तमाम समस्याओं एवं उनके उपायों पर विचार कर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करने एवं अनवरत मोनिटरिंग हेतु एक समिति का गठन किया जावे। अतः सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर सम्भाग, जोधपुर की अध्यक्षता सम्भाग स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। इस आदेश से उक्त सम्भाग स्तरीय समिति में राज्य आयोग के प्रतिनिधि श्री ओमी पुरोहित, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग सहित जिला कलक्टर, जोधपुर, पुलिस आयुक्त, जोधपुर महानगर, जोधपुर, निदेशक, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, जोधपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर, अधीक्षक, मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर, अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री आनन्द पुरोहित, परिवादी श्री रणजीत जोशी, अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जोधपुर, श्री गजेन्द्र मेहता, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर तथा डॉ. श्रीमती नुपुर भाटी, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को समिति में सदस्य नियुक्त किया जाता है। इस आदेश के प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर–भीतर सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर समिति सदस्यगण के साथ परिवाद वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जोधपुर शहर के सभी राजकीय एवं सभी प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों का दौरा कर निरीक्षण एवं तथ्यों की जांच करेंगे तथा निरीक्षण एवं जांच उपरान्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य आयोग को आगामी तारीख पेशी से पूर्व उपलब्ध करायेंगे।

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर यह भी सुनिश्चित करें कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के परिसर में अधिवक्तागण एवं उनके परिवारजन का कोविड–19 टेस्ट किया जावे एवं उनकी उचित मोनिटरिंग एवं बीमारी के उपचार हेतु सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे। कोई भी अधिवक्ता तथा आमजन इस बीमारी से पीडित होने पर उपचार से वंचित नहीं रहे। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर सम्भाग, जोधपुर वर्तमान परिस्थितियों, तथा शादी–विवाह समरोह का सीजन शुरू होने पर कोविड–19 के सम्भावित संक्रमण को रोकने हेतु मास्क लगाने एवं उचित दूरी बनाये रखने, बार–बार साबुन से हाथ देने

तथा कोविड–19 के सम्बन्ध में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार संक्रमण से बचने हेतु किये जाने वाले सभी उपायों के सम्बन्ध में जोधपुर सम्भाग में जन जागरूकता बढाना सुनिश्चित करें।

परिवादी श्री रणजीत जोशी से प्राप्त परिवाद एवं इस आदेश की प्रतिलिपि आज ही फैक्स / ईमेल / व्हाट्सएप के जरिए पालनार्थ सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर सम्भाग, जोधपुर, श्री ओमी पुरोहित, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर, जिला कलक्टर, जोधपुर, पुलिस आयुक्त, जोधपुर महानगर, जोधपुर, निदेशक, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, जोधपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर, अधीक्षक, मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर, अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर तथा सूचनार्थ राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री आनन्द पुरोहित, परिवादी श्री रणजीत जोशी, अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जोधपुर, श्री गजेन्द्र मेहता, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं डॉ. श्रीमती नुपुर भाटी, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को प्रेषित की जावे। श्री ओमी पुरोहित, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर सभी सम्बन्धित को आदेश प्राप्ति की जानकारी कर, आदेश की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

पत्रावली दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

परिवाद संख्या :– 20/02/2945 दिनांक :–28.12.2020

एकलपीठ
समक्षः– माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

आज दिनांक 28.12.2020 को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुए कि धन के लालच में बलि की आशंका : तांत्रिक सहित कई लोगों पर मामला दर्ज, बालक के सिर में ठोकी कील, नाक–कान काटे, पैरों के भी नाखून उखाड़े। इस घटना के संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र में भी समाचार प्रकाशित हुए कि दिल कंपकंपाने वाली वारदात : ढोंगी बाबा ने 11 साल के मासूम की बलि चढ़ाई, नाक, कान व नाखून कटा शव खेत में मिला। इस घटना के संबंध में विभिन्न समाचार चेनल्स फर्स्ट इण्डिया, जी–न्यूज, न्यूज 18 एवं अन्य चैनल्स में भी समाचार प्रसारित किये गये।

उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत राजस्थान के दोनों प्रमुख समाचार पत्रों के साथ अन्य समाचार पत्रों एवं समाचार चेनल्स में भी अत्यन्त संवेदनशील, ह्दय विदारक तथा शरीर में कम्पन पैदा करने वाली खबर को पढ़कर एवं देखकर यह ज्ञात हुआ कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नावली में रविवार को 11 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले बालक का श्रृंगार किया फिर धारदार हथियार से बालक के नाक–कान काट दिए और पैरों के नाखून उखाड़ दिए। इसके बाद बालक के सिर में कील भी ठोकी।

उपरोक्त खबर के साथ इस मासूम बालक के प्रकाशित चित्र को देखकर आयोग को बहुत ही अचम्भा हुआ कि कैसे लोगों ने धन के लालच में एक मासूस बालक की अंध विश्वास के आधार पर हत्या कर दी। यह सोचकर ह्दय को एवं मानसिक स्थिति को आघात लगा कि कैसे उस मृत मासूम बच्चे के, नाखून उखाड़े होगें, कैसे उसके नाक–कान काटे होगें और किस प्रकार उसके सिर पर कील ठोकी होगी। उस समय उसके शरीर की क्या वेदना रही होगी, यह तो ईश्वर ही जान सकता है।

ऐसा मानवताहीन कृत्य अपराध की परिभाषा की परिधि की सीमा से भी आगे है। यह बड़े ही आश्र्चय की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी ऐसे अंधविश्वासों की राह पर चलते है।

प्रकरण में कानून अपना कार्य करेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, किन्तु लोगों में जन जागरण की भावना से इस ह्दय विदारक घटना की कठोर शब्दों में इतनी निंदा की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी

घटनाओं की पुर्नावृति न हो तथा पुलिस से भी यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकरण में गहन, निष्पक्ष एवं ठोस अनुसंधान करके संबंधित न्यायालय में अनुसंधान नतीजा शीघ्र अति शीघ्र पेश किया जावें।

आयोग यह भी अपेक्षा करता है कि कानून की दृष्टि से, मौलिक दृष्टि से व जन भावना की दृष्टि से बारम्बार ऐसे घृणित अपराध से घृणा करने का एक अभियान चलाया जाना चाहिये। यह एक जघन्य से भी जघन्य अपराध है जिसको की आपराधिक परिभाषा में परिभाषित किया जाना भी बड़ा मुश्किल है कि ऐसे जघन्य अपराध को किस प्रकार परिभाषित करें।

ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानव है जिसमें निर्णय लिये जाने हेतु मस्तिष्क, संवाद हेतु वाणी, श्रवण हेतु कान और स्तरीय उन्नयन की क्षमता के साथ कोमल एवं संवेदनशील भावनाएं होती है। किन्तु इस घटना के अपराधियों ने न केवल कानून के प्रति अपराध किया है बल्कि मानवता एवं मानव धर्म की भी हत्या की है, ऐसे हत्यारों के अपराध की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की जाकर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमारे धर्मग्रंथों में मानवता को मानव का एक सर्वोत्तम गुण बताया है। जिसमें एक मानव की दूसरे मानव के प्रति करूणा और प्रेम की भावनाएं निहित होती है, किन्तु ऐसे अपराधी मानव कहलाने के भी लायक नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 21 में यह वर्णित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही है, जैसे जीवन का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मानव अधिकारों में प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रासंगिक है, जिसे वह जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, सम्पति या अन्य स्तरों के भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाता है। चाहे अभियुक्त हो या युद्ध बन्दी, चाहे बालक हो या दलित हर ''मानव की गरिमा'' की रक्षा का उद्वेश्य मानव अधिकारों का है। मानव अधिकार ना केवल व्यक्ति के विकास वरन् राष्ट्र के विकास एवं अर्न्तराष्ट्रीय सद्भाव एवं भाईचारे के लिए अत्यावश्यक है। मानवाधिकार भारतीय संस्कृति में निहित है। हमारे सभी धर्मो में अहिंसा, प्रेम, करूणा, मैत्री और शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व का संदेश दृष्टिगोचर होता है। ''मानव अधिकार'' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं।

आयोग कड़े शब्दों में ऐसे अपराध को कारित करने वाली मानसिकता वाले व्यक्तियों की निंदा करता है एवं प्रशासन व पुलिस से ऐसे अपराध भविष्य में न हो इसके लिये जन जागरूता का अभियान चलानें की भी आशा रखता है।

प्रकाशित समाचार पत्र की गम्भीरता को देखते हुए आयोग स्व–प्रेरणा से प्रकाशित समाचार पर प्रसंज्ञान लिया जाना मुनासिब समझता है। अतः इस आदेश की प्रतिलिपि (1) जिला कलक्टर, अलवर (2) महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर (3) महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर (4) जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिवस की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जावें।

पत्रावली दिनांक 11.01.2021 को पेश प्रस्तुत की जावें।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या :— 20/12/2832 दिनांक :—21.12.2020

एकलपीठ

समक्षः— माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस श्री महेश चन्द्र शर्मा

राजस्थान पत्रिका के अंक, दिनांक 21.12.2020 में समाचार प्रकाशित हुआ है कि ''**दौसा में सरकारी डॉक्टरों के घर से चल रहा दवा का बडा कारोबार**—निःशुल्क दवा योजना को भी दिखा रहे ठेंगा''

उपरोक्त प्रकाशित समाचार के अनुसार यह पाया गया कि दौसा जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सरकारी आवास पर चल रही मेडिकल की दुकानों के मामले में औषधि नियंत्रण संगठन नोटिस देकर जवाब तलब करेगा। पिछले दिनों डॉ. समित शर्मा के निरीक्षण में यहां निजी जांच लैब संचालकों से मिलीभगत सहित कई खामियां मिली, इसके बाद शर्मा के निर्देश पवर औषधि संगठन के अधिकारियों ने डॉक्टरों के सरकारी आवास पर स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चिकित्सक विशेष की पर्चियों से घरों में संचालित मेडिकल की दुकानों व जांच लैबों पर ही प्रतिमाह लाखों का कारोबार हो जाता है।

सरकारी डॉक्टरों द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ मिलीभगत कर लाभ पहुचाने के उद्देश्य से यह गलत कार्य किया जा रहा है। समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित किया गया है कि रिश्तेदारों के नाम पर भी दौसा में सरकारी डॉक्टर मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे है।

राज्य आयोग को उपरोक्त समाचार पढ कर महसूस हुआ कि किस प्रकार भोली—भाली जनता को पढे—लिखे चिकित्सक अपना निवाला बनाते है। ये सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अवैध कारोबार कर रहे है। इससे जनता को ही नहीं बल्कि सरकार को भी इसका नुकसान होता है जो मानव के हितो के भी विपरीत है। राज्य सरकार के चिकित्सकों का यह कर्तव्य एवं दायित्व है कि रूग्ण मानव कि निष्काम भाव से चिकित्सा करें। राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही निःशुल्क दवा योजना पर ऐसे चिकित्सकों पर संदेह उत्पन्न होता है जो अवैध तरीके से दवाईयों कि दुकान चला रहे है। ऐसे चिकित्सक राज्य सरकार को उक्त योजनाओं की क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न करते है तथा आम आदमी तक लाभ नहीं पहुचने देते है जबकि राज्य सरकार ने मुख्य एवं ज्यादातर दवाईयां मुत कर रखी है।

इस आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर, निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, दौसा, जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा तथा औषधि नियंत्रक, राजस्थान जयपुर को नोटिस जारी किया जावे एवं उपरोक्त सभी आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रतिलिपि उक्त सभी को जरिये फैक्स/ई–मेल आज ही प्रेषित की जावे।
पत्रावली दिनांक 18.01.2021 को पेश हो।

(जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा)
कार्यवाहक अध्यक्ष

श्री डी.के. बसु बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य (539/1986) तथा अन्य याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जारी निर्देश

1. गिरफ्तार करने और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को सही दृश्यमान पहचान और अपने पदनाम सहित नामपट्टी धारण करनी चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों की प्रविष्टियां जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते है, एक रजिस्टर में अभिलिखित की जानी चाहिये।

2. यह कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई सदस्य या उस क्षेत्र जहां से गिरफ्तारी की गई है, का कोई सम्मानीय व्यक्ति हो सकेगा। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर भी करेगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख अन्तर्विष्ट होगी।

3. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है और जो किसी पुलिस शाखा या पूछताछ केन्द्रों या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जाता है, किसी मित्र या नातेदार या उसे जानने वाले या उसका भला चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जब तक कि गिरफ्तार के ज्ञापन को अधिप्रमाणित करने वाला साक्षी स्वयं उस गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या कोई नातेदार न हो, यथासमय शीघ्र यह सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अमुक स्थान पर निरूद्ध किया गया है।

4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा का स्थान, उस जिले में विधिक सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से गिरफ्तारी के पश्चात् 8 से 12 घण्टे की कालावधि के भीतर–भीतर तार द्वारा वहां अधिसूचित किया जाना चाहिये, जहां गिरफ्तार व्यक्ति का निकटतम मित्र या नातेदार जिले या नगर से बाहर निवास करता हो।

5. गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानकारी दी जानी चाहिये कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, उसे अपनी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना किसी व्यक्ति को देने का अधिकार है।

6. निरोध के स्थान पर व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में डायरी में प्रविष्टि की जानी चाहिये, जो उस व्यक्ति के वाद मित्र के नाम को जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उन पुलिस पदाधिकारियों के नाम और विशिष्टियां, जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है, को भी प्रकट करेगी।

7. गिरफ्तार व्यक्ति की, यदि वह ऐसा निवेदन करे, उसकी गिरफ्तारी के समय जांच भी की जानी चाहिए और गम्भीर और सामान्य चोटें, यदि उसके शरीर पर विद्यमान हो, उस समय अभिलिखित की जानी चाहिए। इस निरीक्षण ज्ञापन पर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाये।

8. गिरफ्तार व्यक्ति की, अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान प्रत्येक 48 घंटों में ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा की जायेगी जो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त किये गये अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल पर हो। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं समस्त तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसा पैनल बनायेगा।

9. ऊपर निर्दिष्ट गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भिजवायी जायेगी।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। किन्तु पूछताछ की पूर्ण अवधि के दौरान नहीं।

11. समस्त जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिये, जहां गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करने के 12 घंटों के भीतर–भीतर गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा के स्थान के संबंध में सूचना दी जायेगी।

सुलभ सरल असरदायक ।
मानव अधिकार आयोग की सेवाएं लाभदायक ।।

किसी तरह के अन्याय से आप न हो परेशान ।
मानव अधिकार आयोग करेगा आपकी समस्या का समाधान ।

BIO DATA

परिशिष्ठ–1

JUSTICE MAHESH CHANDRA SHARMA

Chairperson, Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

Mr. Justice Mahesh Chandra Sharma, former Judge of the Rajasthan High Court on 5th July, 2007 and remained Judge till his retirement i.e. on 31st May, 2017). He has joined as the Member of the Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur on 3rd October, 2018. Thereafter he has joined as Chairperson of the Rajasthan State Human Rights Commission on 5th December, 2019. He is the Fifth Chairperson of the Rajasthan State Human Rights Commission.

Born on 1st June, 1955 in Dausa (Rajasthan).

Justice Sharma completed his graduation in science biology from Government College, Dausa and did his LL.B. and diploma in Labour Law from the university of Rajasthan, Jaipur. Thereafter he has been enrolled as an Advocate at the Rajasthan Bar Council in year 1979. His Enrolement No. is R/161/79. He has started practice in Civil, Criminal, Revenue and constitutional matter in Rajasthan High Court, Jaipur Bench, Jaipur.

He appeared as an Advocate for the Pink City Press Club, Hindustan Times, Rajasthan Patrika, Rajasthan State Mineral Development Corporation, Maharaja Sawai Man Singh (IInd) Museum Trust City Palace, Jaipur, Jaigarh Public Charitable Trust, Jaigarh Fort, Shri Shila Mataji Trust, Amber Fort, Amber and the Rajasthan State Road Transport Corporation

He has also appeared before the Delhi High Court as well as before the Supreme Court of India in a case of H.Hl. Late Shri Bhawani Singh Ji (Ex Ruler of Erstwhile State of Jaipur), (A partition suit valued about more than 32 thousand crores (Valuation in 1988)).

He has appeared as Additional Advocae General for the State of Rajasthan from year 2000 to 2003 in Rajasthan High Court.

He has also remained Senior Panel Counsel for the Union of India from 2004 to 31st May, 2007.

Thereafter he was elevated as Judge of the Rajasthan High Court on 5th July, 2007 and remained Judge till his retirement i.e. 31st May, 2017.

He remained as Chairman of the Juvenile Justice Board and also remained Member of the various Committees of the Rajasthan High Court.

The most important case, which has been decided by Justice Sharma is Hingoniya Goshala Case.

Justice Sharma has decided approximately 110902 (One Lakh Ten Thousand Nine Hundred Two cases) in Rajasthan High Court, Jaipur and Principal Seat at Jodhpur.

After retirement he has conducted so many arbitration cases as ordered by the Hon'ble Rajasthan High Court.

On 3rd October, 2018, he has joined as Member of the Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur.

On 5th December, 2019, Justice Sharma has been appointed as Chairperson of the Rajashan State Human Rights Commission, Jaipur.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

उत्तरी–पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में पदस्थापित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कब से कब तक	निवास स्थान का पता	दूरभाष		मोबाईल नम्बर
					कार्यालय	निवास	
1.	न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा	सदस्य / कार्यवाहक अध्यक्ष	05.12.2019 से लगातार	62 नीलकण्ठ कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर	0141–2227339	2354330	9414006400
2.	श्री बाबू लाल मीणा, आई.ए.एस.	सचिव	14.09.2020 से लगतार	एन–29, एम.एल.ए. फ्लेट्स, जवाहर कला केन्द्र के पीछे, गांधी नगर, जयपुर	0141–2385102	–	9413341355
3.	श्री अशोक राठौड, आई.पी.एस.	अति. महानिदेशक पुलिस	24.12.2018 से 04.01.2020 तक	1 / 34, गांधी नगर, जयपुर	0141–2227090	2709990	9414109990
4.	डॉ. प्रशाखा माथुर, आई.पी.एस.	अति. महानिदेशक पुलिस	04.11.2020 से लगातार	407 ब्लॉक ए, वीर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर	0141–2227090	2980037	7728811113
5.	श्री ओमी पुरोहित, जिला जज केडर	रजिस्ट्रार	10.12.2018 से लगातार	23 नीलकण्ठ एन्कलेव, जयपुसिंहपुरा, जयपुर	0141–2227742	–	9414268009
6.	श्रीमती सीमा शर्मा–प्रथम, आर.ए.एस.	उप सचिव	08.03.2019 से लगातार	49,50 थीम कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर	0141–2385101	–	9610777782
7.	श्रीमती नीलम चौधरी, आर.पी.एस.	अति. पुलिस अधीक्षक	09.09.2019 से लगातार	102, युनिक प्राईम अपार्टमेन्ट, मानसरोवर, जयपुर	0141–2227090	–	9829974566
8.	श्री शैलोज कुमार	उप पंजीयक	28.12.2017 से 31.08.2020 तक	332 विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	0141–2227183	–	9829141754
9.	श्री दुष्यन्त कुमार जैन	प्रोग्रामर	01.04.2016 से लगातार	266, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	0141–2227183	–	9829894449